

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/हज-19/2019/

दिनांक

—: आदेश :—

हज मिशन-2019 में चिकित्सा विभाग से अस्थाई प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न चिकित्सको का चयन किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाकर कि इनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जॉच/एफ.आई.आर. लम्बित नहीं है तथा हज मिशन हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ण करते हैं, के पश्चात् इन्हे निश्चित समयावधि में कार्यमुक्त करे, ताकि वे निर्धारित समय पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो सके :-

1. डॉ. फाजिल गौरी, चिकित्सा अधिकारी टौंक।
2. डॉ. मोहम्मद आरिफ, चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ, चुरू।
3. डॉ. मोहम्मद शाहिद, चिकित्सा अधिकारी, बून्दी।
4. डॉ. मोहम्मद इस्लाम, चिकित्सा अधिकारी, सीकर।
5. डॉ. वसीम हुसैन, चिकित्सा अधिकारी, नागौर।
6. डॉ. रफत मोहम्मद, चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ, चुरू।
7. डॉ. एजाज फातिमा, चिकित्सा अधिकारी, सवाई माधोपुर।
8. डॉ. मोहम्मद जावेद, चिकित्सा अधिकारी, पाली।
9. डॉ. वसीम अहमद, चिकित्सा अधिकारी, सीकर।



निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/हज-19/2019/ 286

दिनांक 17.6.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्रधानाचार्य, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
5. सम्बन्धित चिकित्सक, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि तुरन्त विभाग की बैबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
7. राजपत्रित संस्थापन अनुभाग/ ए. टी. प्रकोष्ठ मुख्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर